



दूरभाष/Telephone : 0612-2565756
फैक्स/Fax : 0612-2565265
ई-मेल/Email : bihar.gdc.soi@gov.in

भारत सरकार / GOVT. OF INDIA
राष्ट्र के सेवा में 252 वर्षों से अधिक
252 YEARS IN THE SERVICE TO THE NATION



झारखंड एवं बिहार भू-स्थानिक निदेशालय (बिहार विंग)
Jharkhand & Bihar Geo-spatial Directorate (Bihar Wing)
सातवीं मंजिल, (ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी') कर्पूरी ठाकुर सदन,
7th Floor (Block A, F & G), Karpuri Thakur Sadan,
आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025
Ashiyana Digha Road, Patna-800025

भारतीय सर्वेक्षण विभाग / SURVEY OF INDIA

झारखण्ड एवं बिहार भू-स्थानिक निदेशालय (बिहार विंग), पटना नेमी आदेश सं. 07/37-जी-6, दिनांक 04.09.2025

1. MACP योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाना / Grant of 3rd Financial Up-gradation under MACP Scheme:-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून द्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षक को उनके नाम के सामने दर्शाए गए तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए MACP योजना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्रम सं. S.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	वेतन मैट्रिक्स के लेवल Pay Matrix Level	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि Date of MACP Benefit
1.	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Mritunjay Kumar, Officer Surveyor	लेवल -10	01.07.2025

[प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्रांक सं. सी. पी.-2016/1902- MACP-III(OS)/Coll.X दिनांक 20.08.2025]

- उपरोक्त अधिकारी द्वारा एम.ए.सी.पी. स्वीकृत पर नए वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित करने के लिए FR 22(I) (a)(1) के तहत विकल्प देने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन का निर्धारण प्राधिकार में उल्लेखित पत्रों के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा।
- उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधित मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है, तब उनका वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त अधिकारी से वचन पत्र प्राप्त कर अभिलेख हेतु उनकी सेवा पंजिका में रखा जाएगा।
- अधिकारी का वेतन निर्धारण प्राधिकार पत्र में मिले दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा। उपरोक्त मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2025-26 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नाम डाला जाएगा।

2. ट्रेड टेस्ट अपग्रेडेशन/Trade Test Upgradation

(A) इस निदेशालय के निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सामने दशाये गई तिथि से पी.बी.- 1 रु 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2800 (पे लेवल-5) के वेतनमान में पटल चित्रक ग्रेड-II में अपग्रेड करने के लिए भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं. S.No	नाम Name	वर्तमान पद Present Post	प्रस्तावित ग्रेड Proposed Grade	अपग्रेडेशन की तारीख Date of Upgradation
1.	श्री मनोज कुमार Sh. Manoj Kumar	पटल चित्रक ग्रेड-III P/Tr Gde- III	पटल चित्रक ग्रेड-II P/Tr Gde- II	01.01.2025
2	श्री नरसिंह दुसाध Sh. Narsingh Dusadh	पटल चित्रक ग्रेड-III P/Tr Gde- III	पटल चित्रक ग्रेड-II P/Tr Gde- II	01.01.2025

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का पत्र सं. स्था.2-316/1248-Jh&B GD (संग्रह-01) दिनांक 26.08.2025

(B) इस निदेशालय के निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सामने दशाये गई तिथि से पी.बी.- 1 रु 5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400 (पे लेवल-4) के वेतनमान में पटल चित्रक ग्रेड-III में अपग्रेड करने के लिए भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं. S.No	नाम Name	वर्तमान पद Present Post	प्रस्तावित ग्रेड Proposed Grade	अपग्रेडेशन की तारीख Date of Upgradation
3.	श्री सुधाकर कुमार Sh. Sudhakar Kumar	पटल चित्रक ग्रेड-IV P/Tr Gde- IV	पटल चित्रक ग्रेड-III P/Tr Gde- III	01.01.2025

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का पत्र सं. स्था.2-332/1248-Jh&B GD (संग्रह-01) दिनांक 26.08.2025

उपरोक्त कार्मिकों का अपग्रेडेशन पर वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ग्रेड पदोन्नति पर उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का पत्र सं. ई-2-8293/1248- जनरल दिनांक 28.08.2012 के पैरा 03 में जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2025-26 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नाम डाला जाएगा।

(अभिषेक)

अधीक्षण सर्वेक्षक
विंग प्रभारी झारखंड एवं बिहार जी.डी.
(बिहार विंग) पटना

वितरण:

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
3. निदेशक, झारखंड एवं बिहार जी.डी., राँची को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग, लेखा अनुभाग एवं गोपनीय अनुभाग (बिहार विंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाईल।

ई-मेल के द्वारा